

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़

प्रकरण संख्या 114/2024

दिनांक 21.05.2024

उनवान

रामावतार वैष्णव पुत्र रघुवीरदास वैष्णव जाति साद निवासी ग्राम भुंवाड़ा पोस्ट टिकावड़ा हाल निवासी ऊटड़ा रोड़, लक्ष्मीनगर फाटक से बाहर, मालियों की ढाणी मदनगंज किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधिनियम 1955 व धारा 136 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956

-: : आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी भुंवाड़ा व भू.अ.नि. सिलोरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार किशनगढ़ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भुंवाड़ा तहसील किशनगढ़ व जिला अजमेर की जमाबन्दी सम्बत् 2069-2072 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी के खाता संख्या नया 157 पुराना 137 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ़ उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन की कार्यवाही करे।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	भुंवाड़ा	157	रामावतार पुत्र रघुवीरदास हिस्सा 1/2 जाति वेरागी (साधु सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शाखा सिलोरा	रामावतार पुत्र रघुवीरदास हिस्सा 1/2 जाति वेरागी (साधु सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शाखा सिलोरा शेष इन्द्राज जमाबन्दी बदस्तुर रहेगा।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 05.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(अर्चना चौधरी)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)